**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं0 07, आगरा।**

प्रकीर्ण वाद संख्या–11528 / 2026

प्रिया प्रजापति बनाम रजत प्रजापति आदि

**दिनॉक–01.08.2026**

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत है। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थिया द्वारा नौकरी में कमाया हुआ करीब 2 लाख रूपया पति रजत तथा ससुरालीजनों ने प्रार्थिया से जबरदस्ती ले लिया तथा धमकी दी यदि शादी नहीं की तो बदनाम कर देगा। जबरदस्ती प्रार्थिया को अपने घर ले गया। प्रार्थिया को पति रजत, मां गायत्री, पिता घनश्याम, देवर देव उर्फ बेटू, ननद रेनू व ज्योति, रश्मि और बुआ सोनम ने प्रार्थिया को घर वापस नहीं आने दिया। दिनांक 02.11.2025 को सभी लोगों ने प्रार्थिया का विवाह रजत प्रजापति के साथ जबरदस्ती सम्मेलन में करा दिया। इस बात की जानकारी प्रार्थिया के घर वालों को हुई तो थाना सदर पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जिस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। शादी के कुछ दिन बाद प्रार्थिया के पति रजत तथा ससुरालजनों ने काम के लिए 1 लाख रूपये तथा एक प्लॉट तथा एक बुलट मोटरसाइकिल की मांग करने लगे, प्रार्थिया ने मना किया तो पति रजत व ससुरालीजनों ने मारपीट शुरू कर दी। प्रार्थिया ने इसकी शिकायत अपनी मां, जीजा नीतेश, बहन शिल्पी व वैष्णवी से की तो प्रार्थिया को देखने आये और उसकी तबियत खराब होने के कारण उसे अपने साथ ले गये। इलाज कराने के 2 दिन बार ससुराल छोड़ने के लिए गये तो सास गायत्री, ससुर घनश्याम, देवर देव उर्फ बेटू, ननद ज्योति, रेनू ने प्रार्थिया का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकाल दिया तथा प्रार्थिया को गन्दी गन्दी गालियां दी। उसके बाद सभी लोगों ने मारापीटा और दरवाजे में धक्का दिया जिससे प्रार्थिया के पेट व हाथ में चोटें आयीं। प्रार्थिया की बहिन ने 112 नम्बर पर फोन किया तो पुलिस ने प्रार्थिया व ससुरालीजनों को शहीदनगर चौकी ले गये तथा चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराने के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। प्रार्थिया के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गयी जिस कारण प्रार्थिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और अबार्शन कराना पड़ा। प्रार्थिया ने पुलिस आयुक्त, आगरा व थाना सदर बाजार आगरा को शिकायत भी, लेकिन काई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रार्थिया द्वारा अपने कथन के समर्थन में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व पुलिस आयुक्त, आगरा को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, चिकित्सीय प्रपत्रों की छायाप्रतियां आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।

थाना सदर बाजार, आगरा की आख्यानुसार थाना हाजा पर इस सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से दर्शित है कि वर्तमान प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्य प्रार्थिया के संज्ञान में हैं तथा इसमें किसी नये तथ्य की खोज नहीं होनी है। प्रार्थिया अपने आवेदन के तथ्यों को स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत कर सिद्ध करने में समर्थ है। अतः माननीय उच्च न्यायालय की निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं **नाथू लाल गंगवार प्रति उ0प्र0राज्य 2008 (61) ए0सी0सी0 792 (इलाहाबाद), सुखवासी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2007 (59) ए0सी0सी0 739 (इलाहाबाद खण्डपीठ), फादर थामस प्रति उ0प्र0 राज्य 2002 (1) जे0आई0सी0 415 (इलाहाबाद) तथा रामबाबू गुप्ता प्रति उ0प्र0राज्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद)** के आलोक में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 को परिवाद के रूप में स्वीकार करके दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**आदेश**

प्रार्थिया प्रिया प्रजापति का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 को परिवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी0एन0एस0एस0 हेतु पत्रावली दिनांक 01.10.2026 को पेश हो।

दिनांक 01.08.2026

ह0/–
(अनुज कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या–07, आगरा।
J.O. Code-UP2458